

क्रमांक 3327022/छ.ग./2018/6430
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ-भवन,
नार्थ ब्लॉक सेक्टर-19, अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 29/05/2019

प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :- शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत - डब्ल्यू.पी. (एस.) 494/2018 द्वारा राजकुमार बजरंग विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में CONT.Case (C) No. 295/2019 राजकुमार बजरंग विरुद्ध श्री अविनाश चम्पावत, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग एवं अन्य।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 01-03/31/स्था./2008 दिनांक 21.05.2019.

विषयांतर्गत प्रकरण में शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। कृपया श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) को शासनादेश की प्रति सौंपकर, वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

हस्ता -

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
अटल नगर, जिला-रायपुर

पृष्ठा. क्रमांक 3327022/छ.ग./2018/6431
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 29/05/2019

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. नोडल अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, जल संसाधन विभाग, बिलासपुर
3. संपर्क अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रायपुर।
4. संबंधित श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.), कार्यालय मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, अंबिकापुर।
5. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. मास्टर नस्ती।

की ओर शासनादेश की छायाप्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.-2 से 6 हेतु)

हस्ता -

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
अटल नगर, जिला-रायपुर

R.R. No. _____ Date _____
EC/SAC/SC/AD/PS/TS/BA/WCI
Ar.M/Ar.Dung/Ar.Stor/Ar.Jag
D.A.O. Ex. Engr

पर की जाती है। साथ ही विभागीय सेवा भर्ती नियमों में अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा 05 वर्ष है, जो कलैण्डर वर्ष अनुसार श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2020 में अर्हकारी सेवा पूर्ण करेंगे, फलस्वरूप श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) द्वारा वरिष्ठता निर्धारित कर, क्रमशः कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अमान्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतएव राज्य शासन एतद्वारा वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) द्वारा क्रमशः कार्यपालन अभियंता/अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) के पद हेतु वरिष्ठता निर्धारित कर, पदोन्नति संबंधी समय-समय पर प्रस्तुत अभ्यावेदन समग्र विचारोपरांत औचित्यपूर्ण न होने के कारण, अमान्य करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वृन्दावन सेन) 21/5/2019
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग

अटल नगर रायपुर, दिनांक 21.05.2019

पृष्ठांकन क्र एफ 01-03/31/स्था./2008

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्टार, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क्रमांक 494/2018 एवं अवमानना क्रमांक 1239/2018 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 295/2019,
2. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क्रमांक 494/2018 एवं अवमानना क्रमांक 1239/2018 एवं अवमानना प्रकरण क्रमांक 295/2019,
3. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर,
4. निज सचिव, सचिव/संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर,
5. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर,
6. नोडल अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना, बिलासपुर,
7. सम्पर्क अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, वि./यां. भारी संयंत्र संभाग, रायपुर,
8. संबंधित मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, अम्बिकापुर,
9. श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता(वि./यां.) द्वारा प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
10. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

21 MAY 2019

कक्ष

(वृन्दावन सेन) 21/5/2019
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

क्रमांक 3411
दिनांक 022/5/19

Dr. Purnima

(186)

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर

—:: आदेश ::—

अटल नगर रायपुर, दिनांक 21.05.2019

क्रमांक एफ 01-03/31/स्था./2008 :: प्रमुख अभियंता, रायपुर ने श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 20.08.2018, 10.12.2018 में लेख किया गया है कि शासन द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 17.08.2010 से वरिष्ठता निर्धारित कर, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) से अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) के पदोन्नति आदेश दिनांक 11.02.2015 को रिव्यू डी.पी.सी./वरिष्ठता का लाभ देते हुए अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) के पद पर, प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2/ श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) द्वारा पदोन्नति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्र. 494/2018 दायर की गयी जिसमें पारित आदेश दिनांक 15.01.2018 निम्नानुसार है:-

(1) Learned counsel appearing for the petitioner would submit that petitioner has made application for promotion on the higher post before respondents No. 1 & 2 but the same is pending since 31.08.2017 and. therefore, direction may be issued to the said authorities to decide the same expeditiously.

(2) Prayer appears to fair reasonable. Be that as it may, respondent No. 1 & 2 are directed to consider and decide the representation of the petitioner strictly in accordance with law expeditiously within a period of three months from the date of receipt of certified copy of this order.

तत्पश्चात श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका अवमानना प्रकरण क्र. 1239/2018 दायर की गयी जिसमें पारित आदेश दिनांक 03.12.2018 निम्नानुसार है:-

(1) This contempt petition has been filed by the petitioner herein, alleging non-compliance of this Court's order dated 15.01.2018 passed in WP(s) 494/2018. After hearing learned counsel appearing for the petitioner, I deem it appropriate to give one opportunity to the respondents/contemnors in the WP (s) 494 of 2018 to ensure compliance of this Court's order date 15.01.2018.

(2) The petitioner may also make additional representation along with the copy of this order within ten days from today before the respondents and, in turn, the respondents shall ensure the compliance of this Court's order dated 15.01.2018 in its letter and spirit expeditiously, with the aforesaid direction, the contempt case stands finally disposed of.

माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में एक अन्य अवमानना प्रकरण क्रमांक 295/2019 दायर कर सचिव, छोगो शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 17.06.2019 के पूर्व जवाबदावा प्रस्तुत करने के निर्देश है।

3/ माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उल्लेखित याचिकाओं में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य एवं श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। जिसमें यह पाया गया कि श्री आर.के. बजरंग, सहायक अभियंता (वि./यां.) से कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के पद पर, पदोन्नति बाबत विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के तारतम्य में पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.01.2018 को आयोजित की गयी तथा पदोन्नति समिति द्वारा श्री आर.के. बजरंग, सहायक अभियंता (वि./यां.) को वर्षान्त 2013 का गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध होने के कारण परिभ्रमण के माध्यम से प्रकरण निराकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा "न्यूनतम कसौटी में 05 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन का समग्र मूल्यांकन कम से कम "अच्छा" श्रेणी (कम से कम 10 अंक) तथा किसी भी वर्ष "घ" श्रेणी प्रतिकूल टिप्पणी न हो एवं 05 वर्षों में से अंतिम वर्ष "ग" श्रेणी का न हो" मापदण्ड निर्धारित किया गया :-

.....क्रमशः.....

आर.के. बजरंग, सहायक अभियंता (वि./यां.) का वर्षान्त 2009 से 2013 तक की अवधि के गोपनीय वेदन मतांकन स्थिति निम्नानुसार है :-

नाम	वर्षान्त 03/09	वर्षान्त 03/10	वर्षान्त 03/11	वर्षान्त 03/12	वर्षान्त 03/13
श्री आर.के. बजरंग	ग/ख	ख	ख	ख	ख

वर्षान्त 03/2009 श्री आर.के. बजरंग, सहायक अभियंता (वि./यां.) का मतांकन ग/ख था, जिसे पदोन्नति समिति द्वारा "ख" माना गया, इस प्रकार कुल 10 अंक पूरे हुए।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा परिश्रमण से प्रकरण निराकृत किये जाने बाबत की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में श्री आर.के. बजरंग, सहायक अभियंता (वि./यां.) से कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने के कारण विभाग के जारी आदेश क्रमांक एफ 01-03/31/स्था/2008 दिनांक 28.07.2018 से श्री आर.के. बजरंग, सहायक अभियंता (वि./यां.) को उनके कनिष्ठ को दी गयी पदोन्नति दिनांक 03.01.2015 श्री टी.आर. आहूजा, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ऊपर वरिष्ठता निर्धारित करते हुए, "कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत पर" पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गयी।

5/ श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) को दिनांक 03.01.2015 से दी गयी प्रोफार्मा पदोन्नति पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में वर्ष 2010 सहायक अभियंता (वि./यां.) से कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति/वरिष्ठता बाबत समय-समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन में कनिष्ठ सहायक अभियंता (वि./यां.) श्री बी.आर. उम्बरे, अनुसूचित जाति प्रवर्ग को गलत तरीके से पदोन्नत एवं श्री टी.एक्का, अनुसूचित जनजाति के ऊपर वरिष्ठता निर्धारित कर, जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 17.05.2010 जो वास्तविक तिथि दिनांक 17.08.2010 है का उल्लेख कर, तत्समय से कार्यपालन अभियंता के पद पर पदोन्नति की मांग की गयी है।

तत्संबंध में लेख है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26.09.2010 में समिति द्वारा 05 वर्ष के गोपनीय प्रतिवेदन का समग्र मूल्यांकन कम से कम अच्छा श्रेणी तथा किसी भी वर्ष "घ" श्रेणी न हो, अंतिम 02 वर्ष में "ग" श्रेणी न हो उपयुक्तता हेतु न्यूनतम 10 अंक निर्धारित किया गया था। श्री आर.के. बजरंग, सहायक अभियंता (वि./यां.) का अनुसूचित जाति प्रवर्ग में विचार हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा श्री आर.के. बजरंग, सहायक अभियंता (वि./यां.) को कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के पद पर निर्धारित मापदण्ड पूर्ण न करने के कारण, पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त पाया गया तथा श्री बी.आर. उम्बरे, एवं टी.एक्का को कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया।

चूंकि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 के तारतम्य में पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.01.2018 को आयोजित बैठक में श्री आर.के. बजरंग, सहायक अभियंता (वि./यां.) को दिनांक 03.01.2015 से प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गयी है, फलस्वरूप आयोजित बैठक दिनांक 29.06.2010 श्री बी.आर. उम्बरे, एवं टी. एक्का कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के पदोन्नति दिनांक 17.08.2010 से वरिष्ठता/पदोन्नति संबंधी मांग नियमानुसार उचित नहीं है।

6/ श्री आर.के. बजरंग, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) द्वारा वर्ष 2010 से वरिष्ठता एवं श्री बी.आर. उम्बरे एवं टी. एक्का कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वरिष्ठता/पदोन्नति की मांग की गयी है, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.06.2010 निर्धारित मापदण्ड पूर्ण न करने के कारण इन्हे पदोन्नति हेतु अनुपयुक्त पाया गया। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 07.11.2014 के तारतम्य में पुनरीक्षित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.01.2018 अनुसार श्री आर.के. बजरंग को दिनांक 03.01.2015 श्री टी.आर. आहूजा, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रोफार्मा पदोन्नति दी जा चुकी है।

जहाँ तक श्री आर.के. बजरंग, द्वारा कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) से अधीक्षण अभियंता (वि./यां.) के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति की मांग की जा रही है, जिसमें श्री एन.एस. बसरा, कार्यपालन अभियंता (वि./यां.) को अनुसूचित जनजाति के स्थान पर अनारक्षित सामान्य से गलत पदोन्नति होने को निरस्त कर, श्री आर.के. बजरंग अनुसूचित जाति को प्रतिस्थापित किये जाने का उल्लेख किया गया है, जो सही नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के जारी परिपत्र दिनांक 16.11.2007 कंडिका-16 नियम 6 में वर्णित है कि यदि अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवर्ग में से अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं और अनारक्षित प्रवर्ग से उपलब्ध होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति अवधि को देखते हुए पदोन्नत किये जाने का प्रावधान किया गया है। कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता का पद प्रथम श्रेणी से प्रथम श्रेणी पदोन्नति बाबत मेरिट कम सीनियरिटी के